

an>

Title: Introduction of the National Witness Protection Bill, 2016.

डॉ. किरिटी पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गंभीर अपराधों वाले आपराधिक मामलों में प्रपीडित साक्षियों को पहचान साक्षी संरक्षण प्रदान करने तथा ऐसे संरक्षण की प्रक्रिया तथा तंत्र को प्रदान करने तथा तत्संबंधी और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: पृष्ठ यह है :

"कि गंभीर अपराधों वाले आपराधिक मामलों में प्रपीडित साक्षियों को पहचान साक्षी संरक्षण प्रदान करने तथा ऐसे संरक्षण की प्रक्रिया तथा तंत्र को प्रदान करने तथा तत्संबंधी और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. किरिटी पी. सोलंकी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 45, डॉ0 संजय जायसवाल - उपस्थित नहीं।